प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 लेखापरीक्षा का खाका, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) का संगठनात्मक ढाँचा एवं प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागो का प्रत्युत्तर दर्शाता है। इस प्रतिवेदन में शामिल किये गये लेखापरीक्षा आक्षेपों के मुख्य निष्कर्षो को भी इस अध्याय में दर्शाया गया है।

अध्याय 2 में निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षो एवं अध्याय 3 में विभिन्न विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा के निष्कर्षो को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में स्वायत्तशाषी निकायों को शामिल करते हुऐ आर्थिक क्षेत्रो के विभागों की अनुपालना एवं निष्पादन लेखापरीक्षा मे लिए गये महत्वपूर्ण मामलो को शामिल किया गया है। सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागो, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों, सांविधिक निगमों और सरकारी कम्पनियों एवं राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित वित्तीय लेनदेनो की लेखापरीक्षा मे उजागर हुए बिन्दुओं पर पृथक से प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं।

प्रतिवेदन मे उल्लिखित मामले उनमें से है जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना जाँच के दौरान ध्यान मे आए तथा उनमें से भी, जो पूर्व वर्षो में ध्यान में आए थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नही किये जा सकें। वर्ष 2011-12 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक हैं, भी शामिल किए गए हैं।